the presence of the Members. And, even today, we have placed the Reports of some Constitution Amendment Bills. So, if the Government could indicate some tentative time we will be able to mobilise Members.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा ससंदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : सभापति जी, जो बात प्रणब दा ने कही हैं, वह सही है लेकिन क्योंकि जो रिपोर्ट उन्होंने आज पेश की है, उसके ऊपर लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के मिनिस्टर यहां बैठे हैं, वे केबीनेट में ले जाकर उस बिल को लेकर आंएगे । जैसे ही वह बिल तैयार हो जाता है, तो हम लोग बीएसी में तय करेंगे कि किस दिन संविधान संशोधन लेने है । अगर दो संविधान सशोंधन हुए तो सब एक ही दिन ले लेंगे और पहले से तय कर लेंगे ताकि सब लोग अपना-अपना कोरम जुटा लें । लेकिन मुझे लगता है कि आखिरी हफ्ते में ही हो पाएगा क्योंकि अभी जो आपने आज रिपोर्ट दी है उसके ऊपर एक कॉन्स्टीट्यशून बिल राष्ट्र होगा, फिर वह बिल केबीनेट में जाएगा, उसके बाद हम लोग बिल यहां इंट्रोड्यूज करेंगे, लगता है कि लगभग तीसरे हफ्ते में ही हो पाएगा ।

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिम बगांल) **:** महोदय, यहां पर बात हुई थी कि दो ईशूज पर ऑनेरबल प्राइम मिनिस्टर यहां स्टेटमेंट देंगे । यह बातचीत हुई थी और गवर्नमेंट उस समय कोई टाइम इंडीकेट नहीं कर पाई थी। चूंकि यह प्राइम मिनिस्टर साहब का सुओ मोटो स्टेट स्टेटमेंट होगा इसलिए अगर वह टाइम भी यहां इंडीकेट कर देते तो उस दिन जो शंका। हाऊस के अदंर थी, उसका भी निवारण हो जाता ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : सर, नीलोत्पल जी को याद होगा कि उस पर भी हम लोगों ने यह कहा था कि सात तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब वापिस लौटेंगे तो उनकी सुविधा के अनुसार हम लोग समय तय करेंगे । इसलिए प्रधान मंत्री जी सात को लौट आएं । उसके बाद आठ या नौ , जो भी सुविधा होगी, हम लोग आठ तारीख को सुबह बता देंगे ।

श्री सभापति : आप सात तारीख तक कहीं भी जा सकते है।

GOVERNMENT BILLS
The Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill, 2003

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा ससंदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 का और संशोंधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

7~/7e *question was put and the motion was adopted.* **श्रीमती सुषमा स्वराज :** महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करती हूं।

THE British Statutes (Repeal) Bill, 2003

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to repeal the British Law Ascertainment Act, 1859, the Foreign Law Ascertainment Act, 1861, the Colonial Probates Act, 1892, in so far as they apply to India, and the India (Consequential Provision) Act, 1949.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I introduce the Bill.

The Electricity (Amendment) Bill, 2003

THE MINISTER OF POWER (SHRI ANANT GANGARAM GEETE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Electricity Act, 2003.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI ANANT GANGARAM GEETE: Sir, I introduce the Bill.

SPECIAL MENTIONS

Request for Central help to mitigate drought situation in Andhra Pradesh

DR. T SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): The Legislative Aseembly of Andhra Pradesh has unanimously passed a Resolution - equesting the Centre to immediately Release Rs. 996.12 crore from ^atbnal Calamity Contingency Fund and 15 lakh tonne of rice under the Swarnajayanti Grameena Rozgar Vojana to mitigate drought prevailing in different parts of the State.

The drought relief assistance includes Rs.146.14 crore towards culture, Rs.40 crore towards animal husbandry; Rs. 212.60 crore towards rural water supply, Rs. 75.13 Crore for urban water supply. Rs. 21.88 crore for special nutrition, Rs. 274.64 crore for wage employment, Rs.170 crore for AP Transco to compensate loss for agriculture power supply, Rs.7.13 crore for fisheries and Rs.48.60 crore towards drought pensions in the form of rice at the rate of Rs.10 kg per family.